



Neutral Citation No. -

2026:AHC:56921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2281 वर्ष 2026

श्रीमती बरख

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: ए.जेड. खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.जेड. खान और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है: मुकदमा अपराध संख्या 46/2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21/29 के तहत, पुलिस स्टेशन नकुर, जिला सहारनपुर में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक का नाम सह-आरोपी के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिसके पास से 65 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी का इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह पुलिस हिरासत में था और उसके इकबालिया बयान का कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और उसका नाम सह-आरोपी सद्वाम के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिसके कब्जे से 65 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपी श्रीमती बरख की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप होगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और वह निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"